

27 2/18

उभयपक्ष उपस्थित। P.O. साहब  
प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है / अज्ञान पर  
पत्रावली गलत / आ. शानुगर  
3-4-18 को पेश है

आज अधिकारियों द्वारा कार्य स्थगित। P.O.  
कार्यों में व्यस्त है।  
तारीख 4-5-18

3<sup>4</sup>/18

संकेत

4<sup>5</sup>/18

पत्रावली भेजा हुई। ककील रनावल उपर/स्वामल  
का मूल शका डिप्टी किया जा चुका है। अतः  
पत्रावली को आगे चलाने का कोई औचित्य  
नहीं है। अतः पत्रावली खारिज किया  
जाता है। पत्रावली केवल भुगतान के  
बाद लक्ष्मील अफसर दायरे में लाने

अतः अतिरिक्त न्यायालय  
काननवास (प.0 मा.0)